न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 72/2012

उनवान

साबुदीन पुत्र पीरू जाति मुसलमान निवासी ग्राम झडवासा नसीराबाद
— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. चांद मौहम्मद पुत्र सुल्तान (फौत)
1/1. सत्तर पुत्र चांद मौहम्मद
1/2. शम्मा पुत्री चांद मौहम्मद
1/3. रूकसाना पत्नी सद्वीक
1/4 फिजा पुत्री सद्वीक
1/5. खुशबु पुत्री सद्वीक
1/6. अमीन पुत्र सद्वीक
2. छोटू खां पि0 सुल्तान (फौत)
2/1. सुन्दरी पत्नी छोटू
2/2. सकूर पुत्र छोटू
2/3. ईदु पुत्र छोटू
2/4. अलादीन पुत्र छोटू
2/5. शीला पुत्री छोटू
2/6. मुन्नी पुत्री छोटू
2/7. खेरून पुत्री छोटू
2/8. मुमताज पुत्री छोटू
2/9. बानू पुत्री छोटू
3. खातून पत्नी इस्माईल,
4. शेर मौहम्मद पुत्र ईस्माइल (फौत)
4/1. खेरून पत्नी शेर मौहम्मद
4/2. मोहसीन
4/3. आदिल
4/4. आरिफ पि0 शेर मोहम्मद
5. पप्पू,
6. इकबाल पि0 इस्माईल जाति मु[illegible]
7. अब्दुल रसीद पुत्र मौ0 इब्राहिम सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड, नसीराबाद,
8. आदित्य अजमेरा पुत्र जगमोहनलाल जाति माली नि[illegible]टेशन रोड, नसीराबाद,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:27 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 8 अनुपस्थित

9 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92 ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :— 12/04/24

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा में वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
732/6	3—15—0	1016	3—15—0	529	0.65
734	7—14—10	1021	7—14—10	545	0.84
				546	0.41

उपरोक्त आराजी में वादी पीरू पुत्र सुल्तान एकमात्र खातेदार था किन्तु हाल खसरा नम्बर बनाते समय राजस्व अधिकारियो ने त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करते हुये सभी के नाम इन्द्राज कर दी जिसे मात्र वादी के नाम पूर्व की भांति दर्ज की जावे।

ग्राम झडवासा के खाता संख्या 696/745 के हाल खसरा नम्बर 530/0.20, 531/0.35, 532/0.48, 533/0.25, 534/0.22, 536/4988 रकबा 0.09, 538/0.22, 539/0.15, 540/0.07, 541/0.30 व खाता संख्या 698/535 के हाल खसरा नम्बर 1508/0.53, 1509/0.53, 1510/0.04, 1511/0.98, 1512/0.32, 1527/0.24, 1528/0.16, 1529/0.14, 1530/0.22, 1531/0.09, 1532/0.08, 1533/0.22, 1534/0.19, 1536/0.15, 1541/0.36, 1542/0.22, 1543/0.07, 1544/0.12, 3602/0.14, 528/0.83, 535/0.02, 536/0.41, 537/1.05 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा 529, 545 व 546 अकेले वादी के नाम दर्ज की जावे। शेष आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद में अंकित खसरा नम्बर 732/6 व 734 के नवीन नम्बर का मिलान क्षेत्रफल के आधार पर किस खाते व खसरा नम्बर में मर्ज किया गया को स्पष्ट नही किया है। आराजी मुतनाजा का मौके पर विभाजन हो गया है। जवाबकर्ता ने उक्त आराजी को मेहनत करके व धनराशि खर्च करके उपयोगी व कीमती बनाया है। प्रतिवादीगण [illegible] कभी भी दखलदांजी नही की गयी है। अतः वाद सव्यय खारिज किया [illegible]दी संख्या 7 व 8 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में [illegible] कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी 1/4 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 0.84 व 546 रकबा 0.41 की आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करके उक्त आराजी व ग्राम झडवासा के खाता संख्या 696/745 के हाल खसरा नम्बर 530/0.20, 531/0.35, 532/0.48, 533/ 0.25, 534/0.22, 536/4988 रकबा 0.09, 538/0.22, 539/0.15, 540/0.07, 541/0.30 व खाता संख्या 698/535 के हाल खसरा नम्बर 1508/0.53, 1509/0.53, 1510/0.04, 1511/0.98, 1512/0.32, 1527/0.24, 1528/0.16, 1529/0.14, 1530/0.22, 1531/0.09, 1532/0.08, 1533/0.22, 1534/0.19, 1536/0.15, 1541/0.36, 1542/0.22, 1543/0.07, 1544/0.12, 3602/0.14, 528/0.83, 535/0.02, 536/0.41, 537/1.05 की आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:27 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

साबुदीन बनाम चांद मौहम्मद

दावा बावत :— 53, 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 72/2012
पेश करने की दिनांक — 15.03.2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक हीरालाल यादव मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 0.84 व 546 रकबा 0.41 की आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करके उक्त आराजी व ग्राम झडवासा के खाता संख्या 696/745 के हाल खसरा नम्बर 530/0.20, 531/0.35, 532/0.48, 533/ 0.25, 534/0.22, 536/4988 रकबा 0.09, 538/0.22, 539/0.15, 540/0.07, 541/0.30 व खाता संख्या 698/535 के हाल खसरा नम्बर 1508/0.53, 1509/0.53, 1510/0.04, 1511/0.98, 1512/0.32, 1527/0.24, 1528/0.16, 1529/0.14, 1530/0.22, 1531/0.09, 1532/0.08, 1533/0.22, 1534/0.19, 1536/0.15, 1541/0.36, 1542/0.22, 1543/0.07, 1544/0.12, 3602/0.14, 528/0.83, 535/0.02, 536/0.41, 537/1.05 की आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 05 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद